गेहूं का निर्यात

2061. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री अश्विनी कुमार :
श्री कैलाशपति मिश्र :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय गेहूं का मूल्य अधिक होने के कारण उसके निर्यात में कठिनाई आ रही है जिसके कारण इसके स्टाक खुले में पड़े हैं तथा वर्षा, बाढ़ आदि के कारण खराब हो रहे हैं; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाने तथा उनके स्टाक निर्धारित सीमा के अन्दर रखने के लिये क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गेहूं का निर्यात करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है और इस समय मूल्य भी कम चल रहा है । भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत रूस को 5 लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति करने और वियतनाम को जिन्स उधार के रूप में 0.50 लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति करने के लिए ठेके कर लिए है । इसके अलावा सूखाग्रस्त अफ्रीकी देशों को भी एक लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति की जा रही है । और अधिक मात्रा में गेहूं का निर्यात करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

30-6-1985 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने ढकी हुई पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में खुले भंडारण मे 27.77 लाख मीटरी टन खाद्यानों को रखा हुआ था ।

ढकी हुई भंडारण स्थान की कमी के कारण कवर और प्लिथ के अधीन स्टाक का भंडारण करने के लिए बरती गई सावधानियों के बावजूद कुछ मात्राएं क्षतिग्रस्त हो ही जाती हैं । तथापि भंडारण क्षमता की कमी होने के कारण क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सरकार ने विहित न्यूनतम निर्यात मूल्यों की शर्त को पूरा करने पर गेहूं, मैदा, सूजी और सम्पूर्ण आटे का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है । निर्यात करने के अलावा, अधिक स्टाक को निकालने के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक आवंटन में वृद्धि करना; रोलर फ्लोर मिलों को उनकी पूरी लाइसेंसशुदा क्षमता की सीमा तक 208 रुपये प्रति क्विंटल की बजाए 172/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं का आवंटन करना; और उन्हें अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक मात्रा का उत्पादन करने की अनुमति देना; और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन गेहूं के अधिक इस्तेमाल की अनुमति देना ।

Industrial Closures and Lockouts

2062. SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have any policy of fight closures and lockouts in industries;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) to (c) Investigation and settlement of industrial disputes including regulation of closures and lockouts in industrial establishments are being dealt with under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as amended from time to time.

Malfunctioning of the Foreign Language Units

2063. SHRI RAFIQUE AL-AM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether complaints and reports have been received about the malfunctioning of